कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,रायपुर, छत्तीसगढ़

//ज्ञापन//

रायपुर, दिनांक 18/08/2020

क्रमांक / 255 /अ.जि.द./2020

प्रति,

1. श्री सुनील सोनी, माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र 08–रायपुर
2. सुश्री छाया वर्मा, माननीय सांसद, राज्यसभा,
3. श्री विकास उपाध्याय, माननीय विधायक, 49 रायपुर नगर पश्चिम, विधानसभा क्षेत्र एवं संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह मंत्रालय
4. श्री सत्यनारायण शर्मा, माननीय विधायक, 48 रायपुर ग्रामीण, विधानसभा क्षेत्र
5. श्री धनेन्द्र साहू, माननीय विधायक, 53 अभनपुर, विधानसभा क्षेत्र
6. श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय विधायक, 51 रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र
7. श्री कुलदीप जुनेजा, माननीय विधायक, 50 रायपुर नगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र
8. श्रीमती अनिता शर्मा, माननीय विधायक, 47 धरसींवा, विधानसभा क्षेत्र
9. श्री प्रमोद शर्मा, माननीय विधायक, 45 बलौदाबाजार, विधानसभा क्षेत्र
10. श्री एजाज ढेबर, माननीय महापौर, नगर पालिक निगम, रायपुर
11. श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, रायपुर

विषय :– कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विचार हेतु ।

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला रायपुर में कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं रोकथाम कार्य के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, माननीय प्रभारी मंत्री, जिला रायपुर की अध्यक्षता तथा डॉ शिव डहरिया माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक, विधानसभा क्षेत्र 52 आरंग की गरिमामय उपस्थिति में माननीय जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श एवं उनके माध्यम से कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं रोकथाम कार्य में जन–सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 19.08.2020 को दोपहर 12.00 बजे से रेडक्रास सभाकक्ष कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर में उच्च– स्तरीय बैठक आयोजित की गई है।

कृपया अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करेगें।

संलग्न :– एजेन्डा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ.क्रमांक /255A/अ.जि.द./2020

रायपुर, दिनांक 18/08/2020

प्रतिलिपि :–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर को सूचनार्थ। कृपया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
2. श्री सौरभ कुमार, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ। कृपया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करे।
3. डॉ गौरव कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को सूचनार्थ । कृपया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
4. अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर को सूचनार्थ। कृपया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जल प्रौद्योगिकी, जल संसाधन तथा प्रभारी मंत्री, जिला रायपुर को सूचनार्थ। कृपया माननीय मंत्री जी को सूचित करने का कष्ट करेगें।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, को सूचनार्थ। कृपया माननीय मंत्री जी को सूचित करने का कष्ट करेगें।
7. जिला सत्कार अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया उपरोक्तानुसार माननीय जन–प्रतिनिधियों को सूचित करने तथा बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया इंडियन मेडिकल एसोसियेसन की प्रतिनिधियों सहित बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

एजेंडा

1 रायपुर में किये जा रहे टेस्ट की प्रक्रिया पर चर्चा –

जिले में प्राइमरी कांटेक्ट के अलावा घनी बस्ती एवं बाजारों में रैंण्डम सैम्पलिंग की कार्यवाही की जा रही है। अब तक कुल **46277** टेस्ट किये जा चुके है।

2 टेस्ट उपरांत पॉजिटिव मरीजो की कांटेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया पर चर्चा

पूर्व में कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य घर घर जाकर 216 अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था कांटेक्ट ट्रेसिग मे लक्षणयुक्त, कोमोरबिड एवं अन्य वल्नरेबल व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। वर्तमान में कांटेक्ट ट्रेसिग का कार्य केन्द्रीकृत रूप से सर्किट हाऊस मे फोन से संमर्क कर किया जा रहा है ।

3 एक्टिव सर्विलांस की प्रक्रिया पर चर्चा

एक्टिव सर्विलांस हेतु कुल **893** सब ग्रिड बनाये गये है जिसमे दो लोग घर–घर जाकर सर्वे कर रहे है । अब तक **2.5 लाख** घरों का सर्वे दो बार किया जा चुका है। 17335 परसन ऑफ इंटरेस्ट (POI) का चिन्हांकन किया जा चुका है। इनसे कॉल सेंटर व एसएमएस के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है, साथ ही 25 Subgrid में पल्स आक्सीमिटर से पल्स तथा ऑक्सीजन लेवल की जांच का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

4 मरीजो को हॉस्पिटल एलॉटमेंट एंव हॉस्पिटल पहुँचाने पर चर्चा

(1) इस हेतु 5, 108 एम्बुलेंस तथा 6, छोटे एम्बुलेंस कार्य कर रहे है साथ ही 10 बस भी लगाये गये है ।

(2) कोविड सेम्पलीग हेतु 6, नग छोटे वाहन लगाये गये है ।

5 कोविड आइसोलेशन केन्द्र निर्माण पर चर्चा –

जिले मे कोविड हॉस्पिटल एवंम कोविड आइसोलेशन केन्द्र की स्थिती निम्नानुसार है ।

संस्थान	क्षमता
पूर्व से मौजुद	
1 एम्स रायपुर	500
2 मेकाहारा रायपुर	500
नवनिर्मित	
1 माना	120
2 लालपुर	100
3 ESIC	200
4 इंडोर स्टेडियम	260
5 वकिग वुमेन हाऊस	230
6 आयुर्वेदिक हास्पिटल	350

निर्माणाधीन	
1 ISBT रायपुर	400
2 होटल प्रबंधन संस्थान नया रायपुर	400
3 आयुष विश्वविद्यालय	400

6 मृतकों के अंतिम संस्कार संबंधी समस्त कार्यो पर चर्चा –

वर्तमान मे 8 स्थानो पर अंतिम संस्कार किया गया है, नये शमशान घाटो को चिन्हाकित किया जा रहा है ।

7 सोशल डिस्टेसिंग, मास्क पहनाने, आदि के संबंध में की जा रही कार्यवाही पर चर्चा –

नगर निगम **द्वारा** अब–तक कुल 3 लाख मास्क का वितरण किया गया है। अब–तक कुल 41 लाख. रूपये से अधिक का फाइन नगर निगम तथा पुलिस द्वारा लिया गया है।

8 जनप्रतिनिधियों / N.G.O. स्वंय सेवी संस्थाओ के कार्यो पर चर्चा –

पुरे कोविड काल मे लगातार जनप्रतिनिधियों/ N.G.O. /स्वंय सेवी संस्थाओ/ दानदाताओं से सहयोग प्राप्त हुआ है । विभिन्न जनप्रतिनिधि द्वारा स्वंम के स्तर पर भोजन सामाग्री मास्क बांटे गये है । महापौर निधि तथा पार्षद निधि से भी भोजन व्यवस्था किया गया है ।

9 वर्तमान आवश्यकताओ के अनुरूप शासकीय जरूरतो पर चर्चा –

वर्तमान मे प्रशासन को विभिन्न प्रकार की आवश्कता है ।

- डाक्टरों, प्राइवेट फीवर क्लिनिक एवं प्राइवेट ओपीडी से कोविड लक्षण की जानकारी वाले मरीजो की जानकारी आवश्यक है ।
- अतिरिक्त शासकीय अमले की आवश्यकता है क्योकि 14 दिन फिल्ड में कार्य उपरान्त 7 दिवस क्वारंटीन किया जाना होता है।
- अंतिम संस्कार में आवश्यक सहयोग जरूरी है ।
- मेंडिकल इक्विपमेंट, स्वास्थ्य अधोसंरचना, हेतू शासन, दान–दाताओं/जन प्रतिनिधी का सहयोग जरूरी है ।

10 मरीजों के होम आइसोलेशन अस्पतालों एवं होटलों के आपसी सामंजस्य से कोविड केयर केन्द्रो निर्माण पर चर्चा –

वर्तमान मे 7 निजी अस्पतालों द्वारा अस्पाताल, होटल, या होम आइसोलेशन के माध्यम से इलाज का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा भी 50 मरीजो को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है।

11 दुकानों के समय निर्धारण पर चर्चा –

दिनांक 6 अगस्त को लॉक डाउन समाप्त होने के उपरांत सभी व्यापारी संघों स चर्चा उपरांत दुकानों के खोले और बन्द किये जाने का समय निर्धारित किया गया था, जिस पर 15 दिवस उपरांत विचार किया जाना है।